phased manner so that safe blood is available for transfusion.

Setting up of Petrochemical complex in Punjab

*151. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report which appeared in the Indian Express dated the 8th August, 1990, regarding a suggestion made by the Punjab, Haryana, Delhi Chamber of Commerce and Industry for setting up a Petrochemical complex in the Punjab ;

(b) if so, what are the details thereof and whether Government would take necessary steps for the setting up of the said project at an early date ; and

(c) if not, shat are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) Government have seen the press report.

(b) and (c) Proposals for setting up petrochemical complexes are considered having regard to availability of feed stock and other techno economic aspects. While there is no petrochemical complex in Punjab under consideration during the 8th Plan period, it may be feasible to consider setting up of such a complex in Punjab at a later stage.

आरक्षित श्रेणियों के लोगों को पेट्रोल पम्प और कुकिंग गैस की एजेंसियों/डीलरशिप का आबंटन

*152. श्री अजीत पी० के० जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में केन्द्रीय सरकार इस परिपाटी का अनुपालन कर रही है कि पेट्रोल पम्प और कुकिंग गैस की डीलरशिप/एजेंसियों के आबंटन के विज्ञापन देते समय क्षेत्र के सांसदों/विधायकों को उसकी अलग-अलग सूचना दी जाती , जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षित श्रेणियों के लिए सही और वास्तविक व्यक्तियों का ही चयन हो ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि वास्तविक रूप से आदिवासियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों व विकलांग व्यक्तियों को ही ये एजेंसियां/डीलरशिप आबंटित की जायें ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम.एस. गुरूपदस्वामी) : (क) विभिन्न श्रेणियों के लिये आरक्षण और वर्गीकरण दर्शाने वाला नये पेट्रोल, डीजल की डीलरशिपों और रसोई गैस वितरकों की स्थान संबंधी विवरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सांसदों को उपलब्ध कराया गया है ।

(ख) आवेदकों द्वारा अनु० जाति/ज.जाति या शारीरिक विकलांग होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद ही स्वतंत्र तेल चयन बोर्ड द्वारा उपयुक्त आवदकों का किया जाता है । यदि चयन किये गये प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणपत्रों की सच्चाई के बारे में कोई शिकायत हो तो उसकी और जांच की जाती है और यदि शिकायत सही पाई जाय तो डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त किये जाने जैसी कार्रवाई की जाती है ।

Setting up a new project by ONGC in Jaisalmer in Rajasthan

*153. SHRI SANTOSH BAGRODIA : Will the Minister of